U;k;ky; HkkicU/k vf/kdkjh ,o inu jktLo vihy ikf/kdkjh chdkusj

Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy l0 14@2014

1. वन विभाग चूरू जरिये उपवन संरक्षक चूरू ।

vihykV

cuke

1. मृतक सत्यनारायण पुत्र जमनाधर जाति ब्राहमण निवासी चूरू।
1/1 शारदा पत्नी सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी चूरू।
1/2 चन्द्रभान पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी चूरू।
1/3 मंजु पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी चूरू।
1/4 माधुरी पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी चूरू।
1/5 नितेश पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी चूरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू ।

मुख्य रेस्पोडेन्ट

mifLFkr%& 1. श्री बजरंगलाल शर्मा अधिवक्ता अपीलांट

2.श्री शिवगौतम सोलकी़ अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh pw: d fu.k; fnukd 13-12-1994 d fo:} vihy vUrxr /kkjk 223 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

fu.k; दिनांकः–19.05.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी चूरू के निर्णय दिनांक 13.12.1994 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 367 तादादी 11.16 बीघा, ख0न0 380 तादादी 17.11 बीघा व ख0न0 412 तादादी 12.01 बीघा कुल तादादी 41.08 बीघा रोही मोजा चूरू में स्थित है । जिसमें

रेस्पो0सं 1 सत्यनारायण द्वारा रेस्पो0 सं0 2 तहसीलदार चूरू के विरूद्व घोषणात्मक दावा पेश किया व संवत 2015 से लगातार काश्त करने के आधार पर खातेदारी चाही दावे में अपीलांट वन विभाग को पक्षकार नही बनाया जाकर एकपक्षीय कार्यवाही कर दावा दिनांक 13.12.1994 को डिक्री कर दिया गया । उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व यह अपील पेश की गयी है ।

2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है वादगत कृषि भूमि ख0न0 367 तादादी 11.16 बीघा, ख0न0 380 तादादी 17.11 बीघा व ख0न0 412 तादादी 12.01 बीघा कुल तादादी 41.08 बीघा रोही मोजा चूरू में स्थित है । उक्त वादगत कृषि भूमि की खातेदारी के बाबत रेस्पो0 सं1 सत्यनारायण ने रेस्पो0 सं0 2 के विरूद्व घोषणात्मक दावा सं0 185/1993 पेश किया व वादगत कृषि भूमि में उसके द्वारा संवत 2015 से लगातार काश्त में होने के कारण उसे वादगत कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे । मूल दावे में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किये गये जिनसे रेस्पो0 सं0 1 का कब्जा काश्त व खातेदारी साबित होती हो । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात सं0 1 से 4 का निर्णय करते समय साक्ष्य व रेकार्ड का कतेई विश्लेषन नही किया तथा सक्षिप्त रूप से सरकारी वन विभाग की भूमि का गलत व गैर कानूनी रूप से खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जो नियम व कानून विरूद्व होने के कारण कायम रहने के योग्य नही है । राजस्थान काश्तकारी अधीनियम की धारा 16 के अनुसार सरकारी वन भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार उत्पन नही होते है परन्तु इस कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर न कर गलत फैसला किया गया है । वादगत कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में वन विभाग के नाम से खातेदारी दर्ज होने के बावजुद जानबुझकर वन विभाग को पक्षकार नही बनाया गया और एकपक्षीय तरीके से उक्त दावा दिनांक 13.12.94 को डिक्री कर दिया गया । उक्त वादगत कृषि भूमि वन विभाग चूरू की खातेदारी की कृषि भूमि थी जिसमें अपीलांट को दावा में पक्षकार नही बनाया गया तथा रेस्पो0 सं0 2 की तरफ से कोई पैरवी सही ढंग से नही की गयी । इसलिये नोन जुडिसियल आफ नेसेसिटी पार्टी के नुकस में दावा खारजि होना चाहिये था मगर बिना पक्षकार बनाये दावा डिक्री कर दिया जो डिक्री निल एण्ड वैलिड है इसलिये निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.1994 को खारिज किया जावे ।

3. रेस्पोडेन्टस अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक की बहस को नकारते हुऐ अपनी बहस निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि गत ख0न0 638 व 641 तादादी 41.01 बीघा वाके रोही कस्बा चूरू सेठ रूकमानंद राधाकिसन बागला की खातेदारी की भूमि थी जिनके वर्तमान ख0न0 367 तादादी 11.16 बीघा, ख0न0 380 तादादी 17.11 बीघा व ख0न0 412 तादादी 12.01 बीघा कुल तादादी 41.08 बीघा रोही मोजा चूरू में संवत 2015 से लगातार काश्त करता आ रहा है । किन्तु सेटलमेंट कार्मिकों ने बिना किसी आधार के संवत 2028 में वादगत कृषि भूमि को रूकमानंद राधाकिसन बागला की खातेदारी के स्थान पर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से गैर मुमकिन बिड़

दर्ज कर दिया । वादगत कृषि भूमि में संवत 2015 से रेस्पो0/वादी वादगत भूमि का उपकाश्तकार है एव इस कृषि भूमि को लगातार काश्त करता चला आ रहा है व लगान पहले से रूकमांनद को अदा करता आ रहा है । राजस्थान काश्तकारी संशोधन अधिनियम के अनुसार जो सब टिनेट 1969 से काश्तकार है व खातेदार हो चुका है । रेस्पो0/वादी इस भूमि का खातेदार काश्तकार है व राजस्व लगान अदा करता आ रहा है वह कानूनन खातेदारी प्राप्त करने अधिकारी है । रेस्पो0/वादी ने अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पक्ष में राजस्व अभिलेख नकल जमाबदी संवत 2043 नकल खसरा मिलान, नकल जमाबंदी संवत 2008, नकल जमाबंदी संवत 1996–99, नकल जमाबदी संवत 2008 से 2011, नकल जमाबदी संवत 2016 से 2019, छाया प्रति रसीद लगान, छाया प्रति निर्णय अपील सं0 101/1982 नकल किश्तबार रकबा आदि पेश की गयी तथा अपने पक्ष में गवाह सत्यनारायण, परमेश्वरलाल व मंगतुराम के बयान अंकित करवाये । इन सभी गवाहो के द्वारा वादगत कृषि भूमि को संवत 2015 से सेठ रूकमानंद राधाकिशन बागला के नाम थी जो संवत 2028 तक उन्ही के नाम से कायम थी किन्तु सेटलमेंट कार्यवाही के दोरान बिना किसी सक्ष आदेश के जमाबंदी में परिवर्तन कर बिढ़ अंकित कर दिया गया । वादगत कृषि भूमि में रेस्पो0/वादी की पक्की ढाणी बनी हुई है खेत के चारो और बाड़ कर रखी है व पानी का कुण्ड बना रखा है । उक्त वादगत कृषि भूमि से रेस्पो0/वादी को कभी भी बेदखली करने की कार्यवाही अमल में नही लाई गयी है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपना निर्णय व डिक्री जारी करने पूर्व नियमानुसार चार तनकियात कायम की जाकर कानूनी प्रक्रिया के अनुसार तनकियात का निस्तारण किये जाने से पूर्व सम्पूर्ण साक्ष्य व सबुतो का अवलोकन किया जाकर तनकियात को निर्णीत किया गया है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री दिनांक 13..12.1994 को यथावत रखा जावे ।

रेस्पो0 अभिभाषक द्वारा वन विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील पर प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नही था और जिसकी और से बिना न्यायालय की अनुमति लिये यह अपील न्यायालय में पेश की गयी है जो सूनवाई काबिल नही है । यह अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.1994 के विरूद्व संन 2004 में पेश की गयी है अपील के लिये मियाद दो माह की होती है जो दिनांक 13.12.1994 से है । इस प्रकार अपील मियाद बाहर पेश की गयी है जबकि अपीलांट को पहले दिन से निर्णय व डिक्री का ज्ञान रहा है । निर्णय व डिक्री के मुताबिक नामातरकरण भी तस्दीक हो चुका है । उसी अनुसार रेस्पो0/वादी आदिनांक तक काबिज काश्तकार है ।

अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति का जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट ने अपील के साथ धारा 96 सीपीसी के तहत अनुमति हेतु प्रार्थना पनत्र पेश किया है मियाद के बिन्दु पर निवेदन किया कि रेस्पो0 सं0 2 ने जानबुझकर अपीलांट को मुल दावे में पक्षकार नही बनाया इसलिये निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को होने का सवाल ही नही है । वन विभाग को दिनांक 19.01.2004 को

अपीलकृत निर्णय व डिक्री जानकारी नकल लेने से हुई उसी दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की गयी है ।

4. प्रारम्भिक आपत्ति पर बहस सुनी गयी एव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया । अपीलांट के द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की गयी है मियाद के बिन्दु पर धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश नही किया गया है । अपीलाट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही होने के पश्चात जो अपील पेश की गयी है उसके साथ 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पक्षकार बनने हेतु स्वीकृति के लिये पेश नही किया गया है । इन बिन्दुओं के आधार रेस्पो0/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपतियों को स्वीकार किया जाता है ।

5. हमने उभय पक्ष अभिभाषक की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया । वर्तमान ख0न0 367 तादादी 11.16 बीघा, ख0न0 380 तादादी 17.11 बीघा व ख0न0 412 तादादी 12.01 बीघा कुल तादादी 41.08 बीघा रोही मोजा चूरू में स्थित है । रेस्पो0/वादी द्वारा अपने दावे में प्रस्तुत साक्ष्यों व सबुतो संवत 2015 से लगातार काश्त करता आ रहा है । राजस्व अभिलेख नकल जमाबदी संवत 2043 नकल खसरा मिलान, नकल जमाबंदी संवत 2008, नकल जमाबंदी संवत 1996–99, नकल जमाबदी संवत 2008 से 2011, नकल जमाबदी संवत 2016 से 2019, छाया प्रति रसीद लगान, छाया प्रति निर्णय अपील सं0 101/1982 नकल किश्तबार रकबा आदि पेश की गयी तथा अपने पक्ष में गवाह सत्यनारायण, परमेश्वरलाल व मंगतुराम के बयान अंकित करवाये । इन सभी गवाहो के द्वारा वादगत कृषि भूमि को संवत 2015 से सेठ रूकमानंद राधाकिशन बागला के नाम थी जो संवत 2028 तक उन्ही के नाम से कायम थी । जिसमें रेस्पो0/वादी उपकाश्तकार था व लगान समय समय पर सेठ रूकमानंद को अदा करता आ रहा था । भूप्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये सेटलमेंट कार्य के दोरान वादगत कृषि भूमि को नामुमकिन बीड़ दर्ज कर दिया जो की भूप्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नही है । भूप्रबन्ध विभाग को किश्म परिवर्तन करने का तभी अधिकार प्राप्त है जब किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई आदेश दिया गया हो । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में किश्म परिवर्तन का कोई सक्षम आदेश उपलब्ध नही है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व चार तनकियात कायम की गयी थी ।

rudh u01 ख0न0 638 तादादी 41.01 बीघा व ख0न0 641 सेठ रूकमानंद बागला की खातेदारी थी जो जमाबंदी संवत 2008 से 2011 के अवलोकन से बखुबी साबित होती है कि वादगत कृषि भूमि रूकमानंद बागला की खातेदारी भूमि थी ।

rudh l0 2 वर्तमान ख0न0 367 तादादी 11.16 बीघा, ख0न0 380 तादादी 17.11 बीघा व ख0न0 412 तादादी 12.01 बीघा कुल तादादी 41.08 बीघा रोही मोजा चूरू में स्थित को सेटलमेंट विभाग द्वारा गैरमुमकिन बिड़ अंकित किया गया जो मिलान खसरा संवत 2024 व जमाबंदी सवंत 2043 से साबित है । एवम अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सक्षम न्यायालय का ऐसा कोई भी आदेश उपलब्ध नही है । जिसमें भूप्रबन्ध विभाग को किश्म बदलने का आदेश दिया गया हो ।

rudh 3 ख0न0 367 तादादी 11.16 बीघा, ख0न0 380 तादादी 17.11 बीघा व ख0न0 412 तादादी 12.01 बीघा कुल तादादी 41.08 बीघा रोही मोजा चूरू में स्थित है का संवत 2015 से वादी उपकृषक है व सन 1969 में भी काश्तकार था इसलिये वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है । जो की वादी द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद स0 90829 वर्ष 1975 तथा न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश चूरू की अपील सं0 101/82 निर्णय दिनांक 16.06.83 के अनुसार वादी संवत 2028 से कब्जा प्रमाणित है अतः वह खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है ।

rudh 4 वादगत ख0न0 367 तादादी 11.16 बीघा, ख0न0 380 तादादी 17.11 बीघा व ख0न0 412 तादादी 12.01 बीघा कुल तादादी 41.08 बीघा रोही मोजा चूरू में स्थित है में वादी खिलाफ प्रतिवादी चिरनिषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है । चूंकि तनकी 1 ता 3 रेस्पो0/वादी के पक्ष में निर्णीत होने के कारण वादी चिरनिषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी रहा है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0/वादी को जो खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है वो नियमानुसार प्रदान किये गये है जिसमें यह न्यायालय किसी भी तरह का परिवर्तन करना न्यायोचित नही समझता है ।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन व उभय पक्ष की बहस से यह सार निकलता है कि जमाबंदी संवत 2008 से 2015 में रेस्पो0/वादी राजस्व रेकार्ड में काश्त उपकृषक दर्ज रहा है । तत्समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार व स्वतः की खातेदार काश्तकार दर्ज हो जाना चाहिये था । उसी अनुसार उनको खातेदारी मिलना प्रतित हो रहा है । न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश चूरू के मु0न0 101/1982 निर्णय दिनांक 16.06.1983 में रेस्पो0 वादी को वादगत कृषि भूमि पर 25 वर्षो से अधिक समय कब्जे व काश्त के होने के कारण तहसीलदार चूरू को दिनांक 12.05.1982 को नियमन की सिफारिश की गयी थी । चूंकि बिड़ भूमि की एक किश्म मात्र है न की खातेदारी अधिकार अतः केवल मात्र बिड़ दर्ज करने से वन विभाग को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो जाते है । अगर किसी सक्षम आदेश के द्वारा प्रश्तगत भूमि को वन विभाग के नाम दर्ज किया गया होता तो उसमें खातेदारी अधिकार उत्पन होते वन विभाग द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नही किा गया है । जिससे यह साबित हो की उक्त भूमि कभी वन विभाग के नाम से खातेदारी में दर्ज रही हो । वन विभाग द्वारा न्यायालय के समक्ष राजस्थान सरकार राजस्व विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 21.03.1978 की प्रस्तुत की जिसमें फोरेस्ट सेटलमेंट आफिसर को बजर भूमि में सरकारी व व्यक्तिक अधिकारों की जांच करके लेखबद्व करने का निर्देश दिया गया था परन्तु यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस विज्ञप्ति द्वारा व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नही आयेगी ना ही उन पर प्रभाव पड़ेगा । प्रश्नगत प्रकरण में वादगत भूमि को संवत 2028 सन 1971 में ही भूप्रबन्ध विभाग द्वारा बिड़ दर्ज कर दिया व न्यायोचित नही था और उसी आधार पर वादगत भूमि को वन विभाग की खातेदारी भूमि माना जाना भी न्यायोचित प्रतित नही होता है ।

6. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.1994 को यथावत रखा

जाता है । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।

7. निर्णय आज दिंनाक 19.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkM+h½
Hkw izcU/k vf/kdkjh ,oa
insu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj